

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(136)न्याय/15

जयपुर, दिनांक 24-05-2017

जिला कलक्टर
कार्यालय राजसमन्द।

विषय:—श्री पन्नालाल झडोला, कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय राजसमंद को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री पन्नालाल झडोला, कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय राजसमंद के आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2017 व 24.05.2017 के क्रम में श्री पन्नालाल झडोला को दिनांक 22.05.2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जावे।

श्री पन्नालाल झडोला का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है तथा इन्हें स्थायी भी नहीं किया गया है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 15 के अनुसार श्री पन्नालाल झडोला का लियन इस विभाग में नहीं रखा जाएगा।

भवदीय,

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि श्री पन्नालाल झडोला, कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय राजसमंद को उनके आवेदन पत्र दिनांक 19.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव